क्लेम प्रकरण क्रमांक–2562 / 2022

समक्ष–सदस्य,ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

Registration No.	2562/2022
Filling No.	MACC-6159/2022
CNR No.	MP0401-039809-2022
Filling Date.	30-09-2022

1– हल्की बाई पत्नी स्व. श्री वीरन सिंह,
आयु लगभग 27 वर्ष, (मृतक की पत्नी)
2– कुमारी आरती नायक पुत्री स्व. श्री वीरन सिंह,
आयु–लगभग 09 वर्ष, (मृतक का पुत्री)
3– महेश नायक पुत्र स्व. श्री वीरन सिंह,
आयु– लगभग 07 वर्ष, (मृतक की पुत्र)
4– प्रेमबाई बंजारा पत्नी श्री हजारीलाल बंजारा
आयु– लगभग 73 वर्ष, (मृतक की माता)
5– मोवत सिंह बंजारा पुत्र श्री हजारीलाल बंजारा
आयु– लगभग 40 वर्ष (मृतक का भाई) दोनों पैरो से विकलांग
नाबालिग आवेदकगण क्रमांक 02 व 03 द्वारा
संरक्षिका माता हल्कीबाई पत्नी स्व. श्री वीरन सिंह,
निवासीगण– ग्राम रिजोदा चक तोता तांडा, पोस्ट आरोन,
थाना आरोन, जिला गुना म.प्र.

...............................**आवेदकगण**

:: **विरूद्ध** ::

1– जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन,
पता– ग्राम इमलानी, थाना सिरोंज,
जिला विदिशा म.प्र.
(बस क्रमांक एम.पी.–40–पी.–0389 का चालक)

2– मैसर्स सतगुरू ट्रांसपोर्ट सर्विस,
पता– बस स्टेण्ड विदिशा, थाना विदिशा,
जिला विदिशा म.प्र.
(बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 का स्वामी)

3– दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
द्वारा टी.पी. हब, मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय,
जुबलीगेट कमांक 01 के सामने, इंद्रपुरी,
बी.एच.ई.एल. भोपाल म.प्र.
(बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 की बीमा कंपनी)

............**<u>अनावेदकगण</u>**

आवेदकगण द्वारा	:–	श्री के.के. प्रजापति अधिवक्ता
अनावेदक क. 01 व 02	:–	पूर्व से एकपक्षीय
अनावेदक क. 03 द्वारा	:–	श्री ए.पी.एस. परिहार अधिवक्ता

:: अधिनिर्णय ::
(दिनांक– 29 नवम्बर 2024 को पारित)

01. आवेदकगण द्वारा धारा 166 मोटर यान अधिनियम संशोधित 1994 के अधीन दुर्घटना में वीरन सिंह को आई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाने से अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका के सम्बंध में यह अधिनिर्णय पारित किया जा रहा है।

02. क्षतिपूर्ति याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2022 को समय लगभग 16:30 बजे मृतक वीरन सिंह अपने रिश्तेदार

को पीछे बैठाकर मोटरसाईकिल से भोपाल से अपने गांव आरोन जा रहा था, जैसे ही मृतक की मोटरसाईकिल शारदा नगर लांबाखेड़ा भोपाल पहुंची तभी बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 का चालक बस को तेजी व लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुये लाया और मृतक की मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मृतक मोटरसाईकिल सहित रोड पर गिर पड़ा और बस का पहिया मृतक के सिर के उपर से चढ़ता हुआ निकल गया, जिससे मृतक के सिर से काफी खून बह गया। मृतक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का शव परीक्षण हमीदिया अस्पताल भोपाल में कराया गया।

03. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ईटखेड़ी जिला भोपाल में अपराध कमांक 337/2022 पर दर्ज की गई जिससे पुलिस द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 वाहन चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. दुर्घटना के पूर्व मृतक हष्ट–पुष्ट व्यक्ति होकर प्रायवेट काम करता था, जिससे वह लगभग 15,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की असमय मृत्यु हो जाने से आवेदकगण मृतक के प्यार व स्नेह से हमेशा के लिये वंचित हो गये है। आवेदिका कमांक 01 अपने पति के सुखमय दाम्पत्य जीवन से वंचित हो गई है एवं आवेदक कमांक 02 व 03 अपने पिता के, आवेदक

क्रमांक 04 अपनु पुत्र के एवं आवेदन क्रमांक 05 अपने भाई के सुखमय जीवन से हमेशा के लिये वंचित हो गये है। आवेदकगण विभिन्न मदों में अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपए 80,00,000/–(अस्सी लाख रूपये) क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुति दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय रहे हैं जिस कारण उनके द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

06. अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदन की समस्त कंडिकाओं को अंशतः अस्वीकार करते हुये प्रतिअभिवचन किये हैं कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा बस क्रमांक एम.पी.–04–पी.–0389 को बिना वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति, बिना फिटनेस व बिना परमिट के चलाया गया व अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा चलवाया गया, जो कि मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। दुर्घटना दिनांक 08.09.2022 को मृतक वीरन सिंह के पास मोटरसाईकिल को चलाने का वैध एवं प्रभावशील लायसेंस नहीं था एवं उसके द्वारा बिना हेलमेट अपनी मोटरसाईकिल पर तीन लोगो को बैठा कर असावधानी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाई जा रही थी। उक्त कारणो से अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा आवेदकगण की ओर से

प्रस्तुत उपरोक्त क्षतिपूर्ति याचिका सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

07. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिनके समक्ष विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं:–

क.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या दिनांक 08.09.2022 को समय लगभग 16:30 बजे स्थान शारदा नगर लांबाखेड़ा भोपाल में अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा चार पहिया बस क्रमांक एम.पी.–40–पी.–0389 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुये वीरन सिंह की मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई ?	**''प्रमाणित''**
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप वीरन सिंह की मृत्यु कारित हुई ?	**''प्रमाणित''**
3	क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा प्रश्नगत वाहन को बिना वैध व प्रभावी लायसेंस तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''प्रमाणित नहीं''**
4	क्या आवेदक तथा अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा पृथक्कतः 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपये) रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर पाने की अधिकारी है ? यदि हां तो किससे किस अनुपात में ?	**अधिनिर्णय की कंडिका क. 35 के अनुसार**
5	सहायता एवं व्यय ?	**अधिनिर्णय की कंडिका क.**

		36 के अनुसार

:: विवेचना एवं निष्कर्ष ::

वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02

08. उक्त दोनों वाद प्रश्न एक–दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं। अतः साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

09. मृतक की पत्नी हल्की बाई (आ.सा.–01) ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय का अभिकथन किया है कि दुर्घटना दिनांक 08.09.2022 को समय लगभग 04–04:30 बजे उसके पति मोटरसाईकिल से अपने रिश्तेदार को बैठाकर भोपाल से अपने गांव आरोन जा रहे थे। शारदा नगर लांबाखेड़ा पर मोटरसाईकिल में बस वाले ने टक्कर मार दी थी। उसके पति के सिर पर से बस का पहिया निकल गया था, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उनका शव परीक्षण हमीदिया अस्पताल में हुआ था। घटना की रिपोर्ट थाना ईटखेड़ी जिला भोपाल में की गयी थी।

10. मृतक की पत्नी हल्की बाई (आ.सा.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस आशय के कथन किये कि दुर्घटना के समय वह दुर्घटना स्थल पर नहीं थी, इस कारण वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है। दुर्घटना के बारे में उसे मलखान ने बताया था और मलखान द्वारा दी गई

जानकारी के आधार पर ही दुर्घटना का विवरण उसने अपने आवेदन एवं साक्ष्य में किया है।

11. आवेदकगण की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित मलखान नायक (आ0सा0–02) के कथन अनुसार दिनांक 08.09. 2022 को समय लगभग 04–04:30 बजे वह मोटरसाईकिल में पीछे बैठकर अपने घर आ रहे थे। उसकी मोटरसाईकिल उसके ससुर स्व. वीरन सिंह चला रहे थे। जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल शारदा नगर लांबाखेड़ा के पास पहुंची तभी पीछे से भोपाल तरफ से आ रही बस कमांक एम.पी.–04–पी. –0389 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे लोग मोटरसाईकिल से गिर गये थे। उन दोनो को गंभीर चोटे आई थी। दुर्घटना उसने देखी है, दुर्घटना बस वाले की लापरवाही से हुई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में इस आशय का कथन किया है कि वह टक्कर लगने के बाद होश में था, जिस बस ने टक्कर मारी थी, उसका नंबर उसने देखा था।

12. आवेदकगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.01, साक्ष्य सूची प्र. पी.02, एफ.आई.आर प्र.पी.03, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन प्र.पी.04, मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन प्र.पी.05, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.06, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07, शव परीक्षण आवेदन प्र.पी.08, शव सुपुर्दनामा प्र.पी.09, जप्ती पत्रक प्र.पी.10, कार्य प्रमाण पत्र का फार्म प्र.पी.11, धारा 133 का

नोटिस प्र.पी.12, धारा 41 (क) का नोटिस प्र.पी.13, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र.पी.14, मृतक का आधार कार्ड प्र.पी.15 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी–15सी है, पेश किये हैं, जिनसे आवेदकगण की साक्ष्य का समर्थन होता है।

13. मृतक की पत्नी हल्कीबाई (आ0सा0–01) द्वारा यद्यपि दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थल पर नहीं होने का कथन किया गया है किन्तु दुर्घटना कारित होने के संबधं में चक्षुदर्शी साक्षी मलखान नायक (आ0सा0–02) के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में भी अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

14. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.01 से प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होना प्रकट हुआ है। अभियोग पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजों से प्रश्नगत वाहन को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जाना प्रकट है। उक्त दस्तावेजों से यह भी प्रकट है कि घटना के समय मृतक अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था तथा प्रश्नगत बस चालक द्वारा उसे पीछे से टक्कर मारी गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अपने समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह माना जा सके कि, अनावेदक क्रमांक 01 के उक्त प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना दिनांक को कोई घटना कारित नहीं की गई।

15. दाण्डिक प्रकरण के सम्पत्ति जप्तीपत्रक की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–10 के अनुसार अनावेदक कमांक–01 से प्रश्नगत वाहन बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 को सुसंगत दस्तावेजों सहित जप्त किया गया है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–01 के अनुसार अनावेदक कमांक–01 वाहन चालक के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 304ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

16. न्याय दृष्टान्त **<u>शिवराम विरूद्ध मोहम्मद शरीफ 2007 (3) एम.पी. वीकली नोट्स शार्ट नोट 51</u>** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक के वाहन से कोई दुघ र्टना कारित नहीं की गई और उसके विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है।

17. उक्त स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। यह उल्लेखनीय है कि दावा प्रकरण में सिविल प्रकरण की भांति जो सबूत का भार होता है वह केवल संभावनाओं तक सीमित रहता है। आवेदकगण को आपराधिक प्रकरण की तरह युक्ति–युक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सड़क दुर्घटना के मामलों में आपराधिक मामले की तरह प्रमाण का कठोर सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस संबंध में मान्नीय

उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टान्त **विमला देवी विरूद्ध मध्यप्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ए.आई.आर. 2009 (सुप्रीम कोर्ट) 2819** अवलोकनीय है।

18. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 08.09.2022 को समय लगभग 16:30 बजे स्थान शारदा नगर लांबाखेड़ा भोपाल में अनावेदक कमांक 01 द्वारा चार पहिया बस कमांक एम. पी.–40–पी.–0389 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुये मृतक वीरन सिंह की मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मारी गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई। तद्नुसार वाद प्रश्न कमांक 01 व 02 **''प्रमाणित''** के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

<u>वाद प्रश्न कमांक–03</u>

19. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक कमांक–03 बीमा कम्पनी पर था किन्तु बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

20. आवेदकगण की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी–10 के संपत्ति जब्ती पत्रक अनुसार पुलिस द्वारा अनावेदक कमांक 01 जितेन्द्र से दुर्घटनाकारी वाहन बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 सहित सुसंगत दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है जिसमें वाहन की बीमा की छायाप्रति, अनावेदक कमांक 01 की चालन अनुज्ञप्ति, वाहन का फिटनेस व परमिट भी है। बीमा

पालिसी अनुसार उक्त वाहन दिनांक 07.10.2021 से दिनांक 06.10.2022 तक बीमित होना दर्शित है।

21. इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से प्रकरण में अनावेदक कमांक–01 के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गई है। दुघ टिना दिनांक 08.09.2022 की है। अतः स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय अनावेदक कमांक–01 द्वारा वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही उक्त वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार अनावेदक कमांक 03 यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अनावेदक कमांक 01 द्वारा प्रश्नगत् वाहन को बिना वैध व प्रभावी लाइसेंस तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः वाद प्रश्न कमांक 03 **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में निराकृत किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक–04</u>

22. जहां तक आवेदकगण को दिलाई जाने वाली सहायता एवं प्रतिकर निर्धारण का प्रश्न है, तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 ए. सी.जे. 1298** में मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया और उसके चरण बतलाए हैं, जिनकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **रेशमा कुमारी विरूद्ध मदनमोहन 2013 ए.सी.जे. 1253** में तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही एक अन्य **न्याय**

दृष्टांत नेशनल इं.कं.लि. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017(4) एम.ए.सी.डी. –1375 (एस.सी.) में संविधान पीठ के द्वारा भी की गई है। अतः उक्त न्याय दृष्टांतों में दर्शाई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है।

मृतक की उम्र के बारे में

23. मृतक की पत्नी श्रीमती हल्कीबाई (आ0सा0–01) के कथनानुसार उसके पति की आयु घटना के समय 29 वर्ष थी। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन में मृतक की आयु 29 वर्ष होना लेख की गयी है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–07 में मृतक वीरनसिंह की आयु 35 वर्ष होना उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से मृतक वीरन सिंह के आधारकार्ड की प्रति प्रदर्श पी–15सी भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार मृतक का जन्म दिनांक एवं वर्ष 01.01.1991 है। घटना दिनांक 08.09.2022 की है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिसंभाव्य रूप से मृतक की आयु घटना दिनांक को लगभग **31 से 35 वर्ष** के मध्य होना आकलित किया जाता है।

आमदनी के बारे में

24. मृतक की पत्नी श्रीमती हल्कीबाई (आसा0–01) के कथन अनुसार गांव में ही राजमिस्त्री का कार्य कर प्रतिदिन 700/– रूपये एवं प्रतिमाह लगभग 15,000/– रूपये की आय अर्जित करता था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है उसके पति के व्यवसाय एवं 1500 रूपये प्रतिमाह के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त स्थिति में मृतक की मासिक आय रूपये 15,000/– आकलित करने का कोई आधार उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा मृतक की आय के सम्बंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मृतक को एक श्रमिक होकर उसके द्वारा आय अर्जित करना माना जा सकता है।

25. यह दुर्घटना वर्ष 2022 की है। अतः मृतक की आय का आकलन उक्त तथ्यों के आधार पर अकुशल श्रमिक की आय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना उचित होता है। न्यायदृष्टांत **सपना एवं अन्य विरूद्ध मांगीलाल एवं अन्य एम.सी.ए. नं. 5274/2019 रिपोर्टेड इन 2021 ए. सी.जे.** में मान्नीय उच्च न्यायालय का अभिमत है कि काल्पनिक आय की अवधारणा हेतु श्रमिक की मृत्यु के मामले में अधिकरण को तत्समय अर्थात् दुर्घटना दिनांक को सम्बंधित जिले के श्रम आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र/अनुसूची में दर्शाये गये दैनिक वेतन को विचार में लिया जाना

चाहिए। घटना दिनांक 08.09.2022 की है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्र. / 478 / रा. वित्त—02 / 2022, भोपाल दिनांक 26 / 04 / 2022 के परिप्रेक्ष्य में मृतक के अकुशल श्रमिक होने से मृतक की मासिक आय 9,125 रूपये प्रतिमाह अर्थात वार्षिक आय **1,09,500 / —(एक लाख नौ हजार पांच सौ रूपये)** निर्धारित की जाती है।

26. मृतक विवाहित था। आवेदकगण की ओर से उनके आधारकार्ड 16 लगायत 20 की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी हैं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आवेदन एवं आधारकार्ड की प्रतियों से आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती हल्की बाई मृतक की पत्नी, आवेदक क्रमांक 02 कुमारी आरती नायक मृतक की अवयस्क पुत्री तथा आवेदक क्रमांक 03 महेश नायक मृतक का अवयस्क पुत्र, आवेदिका क्रमांक 04 प्रेमबाई, मृतक की माता एवं आवेदक क्रमांक 05 मोवत सिंह मृतक का भाई होना दर्शित हैं।

27. मृतक की पत्नी श्रीमती हल्कीबाई (आ0सा0—01) ने यद्यपि इस आशय का कथन किया है कि आवेदक क्रमांक 05 मोवत सिंह उसका ज्येठ है जिसकी आयु 40 वर्ष है एवं वह दोनों पैरों से विकलांग है किंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में इस सुझाव को स्वीकार किया कि आवेदक क्रमांक 05 उसके साथ ही रहता है तथा दोनों पैरों से विकलांग है

किन्तु उक्त संबंध में उसने कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आवेदक क्रमांक 05 को मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता है किंतु आवेदिक क्रमांक 01 लगायत 04 के मृतक पर ही आश्रित होने के सम्बंध में अभिलेख पर कोई खण्डनकारी साक्ष्य नहीं होने से आवेदक क्रमांक 01 लगायत 04 को मृतक पर आश्रित माना जाना उचित है।

28. न्याय दृष्टान्त **<u>सरला वर्मा तथा अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1298</u>** एवं **<u>न्याय दृष्टान्त रेशमा कुमारी वि0 मदनमोहन 2013 ए.सी.जे. 1253 (तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ)</u>** में कटौती के बारे में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में मृतक के आश्रित सदस्य की संख्या 04 होने के कारण उसके वैयक्तिक और जीविका के व्ययों के रूप में 1/4 भाग की कटौत्री किया जाना उचित है। अतः मृतक की वार्षिक आय 1,09,500/–(एक लाख नौ हजार पांच सौ रूपये) में से 25 प्रतिशत राशि, जो कि 27,375/– (सत्ताईस हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये) होती है, की कटौत्री किये जाने पर कुल राशि **82,125/– (बयासी हजार एक सौ पच्चीस रूपये)** प्राप्त होती है।

29. उपरोक्त विवेचना के आधार पर घटना दिनांक को मृतक की आयु 31 से 35 वर्ष के मध्य होना आकलित की गयी है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत सरला वर्मा (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित अनुसूची के अनुसार 31 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 16 के गुणांक का प्रयोग किया गया है। अतः रूपये **82,125/– (बयासी हजार एक सौ पच्चीस रूपये)** में 16 के गुणांक का प्रयोग करने पर **13,14,000/– (तेरह लाख चौदह हजार रूपये)** की राशि प्राप्त होती है।

30. न्यायदृष्टांत **<u>SPECIAL LEAVE PETITION NO. 25590/2014 National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. Date of Judgement- 31/10/2017</u>** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की उम्र 40 वर्ष के भीतर होने पर उसकी स्थापित आय का 40 प्रतिशत राशि उसकी भविष्यवर्ती सम्भावनाओं में भी दिलाई जावेगी, जो **13,14,000/– (तेरह लाख चौदह हजार रूपये)** का 40 प्रतिशत कुल **5,25,600/– (पांच लाख पच्चीस हजार छः सौ रूपये)** होता है।

31. आवेदकगण को अंतिम संस्कार में हुये व्यय की राशि के रूप में रूपये 15,000/– में दस–दस प्रतिशत की दो वृद्धि करते हुये 18,000/– रूपये एवं सम्पदा की हानि के रूप में भी 15,000/–रूपये में दस–दस

प्रतिशत की दो वृद्धि करते हुये 18,000/– रूपये की राशि की गणना की जाना न्यायोचित है। न्यायदृष्टांत <u>**न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध सोमवती एवं अन्य, सिविल अपील क.–3093/2020 में मान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020, (2020) 9 एस.सी.सी.644**</u> में अभिनिर्धारित किया गया है कि, सहचर्य की हानि मात्र पति–पत्नी के सहचर्य की हानि नहीं है, इसके अतिरिक्त माता–पिता एवं बच्चों के सहचर्य की हानि भी देय है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी निर्णय दिनांक 31/10/17** में मृतक के पति अथवा पत्नि (जैसी भी स्थिति हो) को साहचर्य की हानि बावत 40,000/–(चालीस हजार रूपये) की राशि दिलाई जाना दिशा निर्देशित किया गया है किन्तु न्याय दृष्टान्त **United India Insurance Company Ltd. v. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur and ors., Civil Appeal No. 2705/2020, dated 30.06.2020** में न्याय दृष्टांत **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम उर्फ चुहरूराम 2018 ए.सी.जे. 2782 एस.सी.** को विचार में लेते हुये प्रत्येक आवेदक को मृतक के साहचर्य, सहयोग, वात्सल्य एवं मार्गदर्शन से वंचित होने के कारण पृथक–पृथक चालीस–चालीस हजार रूपये दिलवाये जाने का दिशा निर्देश दिया गया है।

साथ ही पूर्वोक्त न्याय दृष्टान्त प्रणय सेठी के निर्णय चरण 54 में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है, कि साहचर्य आदि शीर्षों में प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि भी की जाना चाहिये। मृतक के असामयिक काल कवलित हो जाने से निश्चित ही आवेदकगण मृतक के साहचर्य, सहयोग, वात्सल्य व मार्गदर्शन से वंचित हुये हैं।

33. **न्याय दृष्टान्त प्रणय सेठी(पूर्वोक्त)**, दिनांक 31/10/2017 को निर्णीत किया गया था, उसके उपरान्त छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण उसके प्रकाश में 40,000/–(चालीस हजार) रूपये में <u>दस–दस प्रतिशत राशि की दो वृद्धि उपरांत 48,000/–(अड़तालीस हजार) रूपये प्</u>रति सदस्य की दर से आवेदकगण को 48,000–48,000/–रूपये (48,000 x 5) कुल राशि 2,40,000/– (दो लाख चालीस हजार रूपये) प्रेम, स्नेह एवं सहचर्य के मद में दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है:–

क	मद	राशि
1	निर्भरता की हानि हेतु	**13,14,000/–(तेरह लाख चौदह हजार रूपये)**

2	भविष्य की सम्भावना के शीर्ष में	**5,25,600 / –(पांच लाख पच्चीस हजार छः सौ रूपये)**
2	सम्पदा की हानि हेतु	**18,000 / – रूपये (अठारह हजार रूपये)**
3	अंतिम संस्कार हेतु	**18,000 / –रूपये (अठारह हजार रूपये)**
4	सहचर्य एवं प्रेम व स्नेह हेतु **(48,000 x 5) कुल राशि**	**2,40,000 / रूपये –(दो लाख चालीस हजार रूपये)**
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**21,15,600 / – पूर्णांक में 21,16,000 / – रूपये (इक्कीस लाख सोलह हजार रूपये)**

34. समग्र वाद प्रश्नों के विश्लेषण से आवेदकगण द्वारा यह तथ्य प्रमाणित कराया गया है कि दुर्घटना दिनांक 08.09.2022 को अनावेदक क्र.–1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से मृतक वीरन सिंह की मृत्यु कारित हुई। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.–1 जितेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन प्रश्नगत वाहन बस कमांक एम.पी.–40–पी.–0389 का चालक था तथा उक्त दिनांक को उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्र.–2 मेसर्स सतगुरू ट्रांसपोर्ट सर्विस था। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्र.–3 दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भोपाल के कार्यालय में बीमित थी।

35. चूंकि दुर्घटना अनावेदक क्र.–1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से घटित हुई है, इसलिए अनावेदक क्र.–1 अपनी उपेक्षा एवं लापरवाही के लिये, अनावेदक क्र.–2 अपने प्रतिनिधिक दायित्व के लिये एवं अनावेदक क्र.–3 बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्यापूर्ति की संविदा के लिये आवेदकगण की प्रतिकर की क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु उत्तरदायी है। चूंकि प्रश्नगत् वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित था और बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यापूर्ति की संविदा के अंतर्गत आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि **21,16,000/– रूपये (इक्कीस लाख सोलह हजार रूपये)** अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कम्पनी का है। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक–**04** का निराकरण किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक–05

सहायता एवं व्यय

36. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदकगण अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलतः प्रकरण में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(1) आवेदकगण दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक वीरन सिंह की मृत्यु हो जाने से अनावेदक कमांक 01 लगायत 03 से **21,16,000/– रूपये (इक्कीस लाख सोलह हजार रूपये)** की राशि संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(2) आवेदकगण उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

(3) उक्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनावेदक कमांक–3 के द्वारा आवेदकगण को अधिनिर्णय के 60 दिवस की अवधि के भीतर अदा किया जावे।

(4) यदि धारा 140 मोटर यान अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदकगण को किया गया हो, तो उसका समायोजन कुल क्षतिपूर्ति राशि में किया जाएगा।

(5) कुल क्षतिपूर्ति राशि **21,16,000/– रूपये (इक्कीस लाख सोलह हजार रूपये)** में से **4,00,000–4,00,000/– रूपये (चार–चार लाख रूपये)** जिसमें प्रेम व स्नेह की राशि 48,000/– रूपये शामिल है, आवेदक कमांक 02 व 03 प्राप्त करने के

अधिकारी हैं। उक्त राशि उनके वयस्क होने की अवधि तक के लिये किसी भी बैंक के सावधि खाते में जमा किये जायें।

(6) शेष राशि 13,16,000/—रूपये में से **3,00,000/— (तीन लाख रूपये)**, जिसमें प्रेम व स्नेह की राशि शामिल हैं, आवेदिका क्रमांक 04 प्राप्त करने की अधिकारी हैं। उक्त राशि उसे किसी भी बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद अकाउंट पेयी चेक से प्रदान की जावे।

(7) शेष राशि 10,16,000/— रूपये में से प्रेम व स्नेह की राशि **48,000/—रूपये (अड़तालीस हजार रूपये)** आवेदक क्रमांक 05 प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त राशि उसे किसी भी बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद अकाउंट पेयी चैक से प्रदान की जावे।

(8) शेष राशि **9,68,000/— रूपये (नौ लाख अडसठ हजार रूपये)** जिसमें प्रेम व सहचर्य की राशि शामिल हैं, आवेदिका क्रमांक 01 प्राप्त करने की अधिकारी है जिसमें से उसे 4,68,000/— रूपये (चार लाख अडसठ हजार रूपये) किसी भी बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद अकाउंट पेयी चेक से प्रदान किये जावें।

(9) शेष राशि **5,00,000/—रूपये** में से **1,00,000/—रूपये (एक लाख रूपये) एक वर्ष** की अवधि के लिये, **2,00,000/—(दो लाख रूपये) तीन वर्ष** की अवधि के लिये एवं शेष

2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) पांच वर्ष के लिये किसी भी बैंक के सावधि खाते में जमा की जावे।

(10) बैंक के सावधि जमा खाते की राशि पर कोई ऋण आदि देय नहीं होगा एवं उक्त राशि इस अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं की जावेगी। सावधि खाते में जमा राशि पर प्राप्त होने वाला त्रैमासिक ब्याज आवेदकगण क्रमांक 01 लगायत 03 प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

(11) याचिका व्यय के रूप में अनावेदक क्रमांक–3 आवेदकगण को 2,500/–रूपये प्रदान करेंगे तथा अनावेदकगण अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(12) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर 2,000/– (दो हजार रूपए) देय हो।

तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय टंकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य,
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण,भोपाल (म.प्र.)

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

SUCHITA SRIVASTAV

Digitally signed by SUCHITA SRIVASTAV
Date: 2024.11.30 12:32:01 +0530